

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

उपसंचालक (प्रशासन)  
कार्यालय मुख्य अभियंता,  
बोधी, जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2267 दिनांक 1/08/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रेम कुमार शर्मा, उपयंत्री	1	रुपयें 1,90,498=99 (शब्दों में रुपयें एक लाख नब्बे हजार चार सौ अठानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/ 1148 भोपाल दिनांक 26/9/2015

✓ प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

22/10/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

सेनानी,

प्रथम वाहिनी विसबल

इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जी-3429 दिनांक 5/08/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	आर. 1297 राकेश कुमार	1	रुपयें 3703=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार सात सौ तीन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- कुल चिकित्सा देयक रु. 8303/- में से निजी सेंटर में कराई गई एम.आर.आई की अतिरिक्त राशि रुपयें 4600/- कम की गई हैं।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1146

भोपाल दिनांक 26/9/2015

✓ प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य अभियंता,  
अपर नर्मदा जोन बरगी हिल्स जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 968 दिनांक 10/08/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री पी०सी० जैन, स्टेनो-आई II	1	रुपयें 4718=00 (शब्दों में रुपयें चार हजार सात सौ अठ्ठाह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1144 भोपाल दिनांक 26/9/2015

✓ प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

22/10/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संज्ञित-  
आवश्यक

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल  
क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

प्रबंधक (लेखा)

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित

मत्स्यबीज प्रेक्षेत्र, भदमदा रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 28/08/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मोतीलाल सेन, सहायक ग्रेड-3	3	रुपयें 2,988=00 (शब्दों में रुपयें दो हजार नौ सौ अष्टासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

॥  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/ 1142 भोपाल दिनांक 26/9/2015

✓ प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

22/10/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

रजिस्टर्ड  
आवश्यक

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग)

भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 517 दिनांक 12/08/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री इमानवेल फेरी, सउनि- एम	1	चिकित्सा देयक में प्रतिहस्ताक्षरित राशि रु. 1637=55 (शब्दों में रूपयें एक हजार छः सौ सैतीस पचपन पैसे मात्र) स्वीकृत योग्य है। शेष राशि प्राईवेट जांच एवं कय की आटोमेटिक प्रेशर मशीन की राशि कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

॥


उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 13/ 1140 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

22/10/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 12/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

लेखाधिकारी,

आवासीय आयुक्त,

कार्यालय म.प्र. शासन म.प्र. भवन 2

लोकप्रिय गोपीनाथ जारदोलाई मार्ग चाणक्यपुरी

नई दिल्ली 110021

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री हरजस सिंह, उप आ. आयुक्त एवं अन्य कर्मचारीगण (6)	15	रुपयें 1,77,686=00 (शब्दों में रुपयें एक लाख सत्तोहत्तर हजार छः सौ छियासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप:- डा. अजीत सिंह राणा के पत्रानुसार प्राइवेट जॉच राशि स्वीकृत की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1138 भोपाल दिनांक 26/9/2015

- संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर आपके पत्र क. 9533-34 दिनांक 7/08/2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
- प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(Handwritten Signature)

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

21/09/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 12/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

लेखाधिकारी,

आवासीय आयुक्त,

कार्यालय म.प्र. शासन म.प्र. भवन 2

लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग चाणक्यपुरी

नई दिल्ली 110021

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री देव दत्त शर्मा, ओएसडी टू एचसीएम एवं अन्य कर्मचारीगण (7)	25	रुपयें 67,251=00 (शब्दों में रुपयें सड़सठ हजार दो सौ इक्यावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- श्री हरजस सिंह, उप आवासीय आयुक्त के चिकित्सा देयक रु. 18068/- में से परामर्श शुल्क एवं अन्य शुल्क रु. 550/- कम किये गये हैं। स्वीकृत राशि 17518/ है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1136 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर

आपके पत्र क. 9535-36 दिनांक 7/08/2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

✓ 2. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

21/09/2015

पंचमतल सतपुड़ा भवन मोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/  
प्रति,

भोपाल दिनांक      /      / 2015

वनमण्डलाधिकारी,  
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

विषयः— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 840 दिनांक 19/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री गणेश प्रसाद सोनी, वनरक्षक	5	रुपये 1,63,551=00 (शब्दों में रुपये एक लाख त्रिरेसठ हजार पांच सौ इक्यावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित**

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1134 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

Crispallus

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश



(4)

रजिस्टर्ड

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2637 दिनांक 6/07/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, स्टेनोग्राफर	1	रुपयें 3733=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार सात सौ तैतीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1132 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1 प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

(3)

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 11 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3809 दिनांक 29/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवानिवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 8209=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार दो सौ नौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 11 / 1130 भोपाल दिनांक 26/9/2015

✓ प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

2

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

रजिस्ट्रार,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रतलाम (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2154 दिनांक 25/07/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	कु. सुनिता बालो, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश	1	रुपयें 12701=00 (शब्दों में रुपयें बारह हजार सात सौ एक मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1128 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

(1)

रजिस्टर्ड

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3028 दिनांक 17/06/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री पी०एन० पारासर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	2	रुपयें 12,348=00 (शब्दों में रुपयें बारह हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1126 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

(संलग्न)

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

प्रबंधक (लेखा)

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित

मत्स्यबीज प्रेक्षेत्र, भदमदा रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 991 दिनांक 24/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री आर०के० गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक	1	रुपयें 6347=00 (शब्दों में रुपयें छः हजार तीन सौ सैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित


उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 11/1124 भोपाल दिनांक 26/9/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।



उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

कार्यपालन यंत्री,

लाईट मशीनरी एवं वि./यॉ. संभाग

जल संसाधन विभाग,

अमरकंटक भवन, पांचवीं मंजिल प्रेस कॉम्प्लेक्स भोपाल (म.प्र.)

**विषय:— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:—** आपका पत्र क्रमांक 1640 दिनांक 12/05/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री एम०सी० दास, सहायक ग्रेड-2	4	रुपयें 88,199=00 (शब्दों में रुपयें अठ्ठासी हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1122 भोपाल दिनांक 22/9/2015

1 प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

श्रमायुक्त,  
कार्यालय मध्यप्रदेश  
इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 20466 दिनांक 9/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री एल०पी० पाठक, श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर	2	रुपयें 20,826=65 (शब्दों में रुपयें बीस हजार आठ सौ छब्बीस छियासठ पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक में से निजी सेन्टर में कराई गई एम.आर.आई. की अतिरिक्त राशि  
रुपयें 5000/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1120 भोपाल दिनांक 22/9/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

(संलग्न)

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
जिला चिकित्सालय सीहोर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4251 दिनांक 2/07/2015  
--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	डॉ० एल०एन० नामदेव, ई.एन.टी. विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीहोर	1	रुपयें 68,000=00 (शब्दों में रुपयें अड़सठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1118 भोपाल दिनांक 22/9/2015  
1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015



## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,

स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर

संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 5570-72 दिनांक 15/06/2015

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री कमलेश कुमार पालिया, आर. 552	6	रुपयें 12,464=00 (शब्दों में रुपयें बारह हजार चार सौ चौसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक क. 7 रुपयें 128/- संबंधित चिकित्सक द्वारा अमान्य की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1116

भोपाल दिनांक 22/9/2015

1. पुलिस अधीक्षक गुना म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

2. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

संचालक,

जवाहर बाल भवन,

(महिला सशक्तिकरण,

महिला एवं बाल विकास विभाग, मप्र शासन)

तुलसी नगर II स्टॉप, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 220/15 दिनांक 17/06/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती कल्पना बाथरे, भृत्य	1	रुपयें 3023=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार तेईस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

✓ प्र.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1114 भोपाल दिनांक 22/9/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 1/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, स्टेनोग्राफर	7	रुपयें 41349=00 (शब्दों में रुपयें इकतालीस हजार तीन सौ उनचास मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1112 भोपाल दिनांक 22/9/2015

✓ प्रमारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015.

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें**  
**मध्यप्रदेश**  
 पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/  
 प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
 कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 इन्दौर (म.प्र.)

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 3389 दिनांक 16/06/2015  
 --- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती मनोरमा जैन, सहायक ग्रेड-2	1	रुपयें 9236=00 (शब्दों में रुपयें नौ हजार दो छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
 राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
 से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें  
 मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1110 भोपाल दिनांक 22/9/2015

✓ 1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें  
 मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी,  
प्रथम वाहिनी विसबल  
इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जी-2922 दिनांक 7/07/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	आर. 1297 राकेश कुमार	2	रुपयें 3047=72 (शब्दों में रुपयें तीन हजार सैतालीस बहत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1108 भोपाल दिनांक 22/9/2015  
✓ 1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी,  
प्रथम वाहिनी विसबल  
इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जी-2719 दिनांक 26/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	आर. 1005 विजेंद्रसिंह	3	रुपयें 8942=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार नौ सौ बयालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1106 भोपाल दिनांक 22/9/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य अभियंता,  
अपर नर्मदा जोन, बरगी हिल्स, जबलपुर (म.प्र.)

विषय:— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 741 दिनांक 23/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री राजेश प्रसाद दुबे, भृत्य	3	रुपयें 10251=00 (शब्दों में रुपयें दस हजार दो सौ इक्यावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 10/1104 भोपाल दिनांक 22/9/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/09/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

प्रशासकीय अधिकारी,  
म.प्र. वाटर एण्ड लैंड इंस्टीट्यूट गर्व,  
आफ पंचायत एण्ड रूरल डेवलपमेंट  
डिपार्टमेंट वाल्मी हिल्स कालियासोत डेम  
कोलार रोड भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 047 दिनांक 23/03/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री एस0एन0 यादव,	6	रुपयें 12,498=00 (शब्दों में रुपयें बारह हजार चार सौ अठ्ठानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 4/843

भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सहा. आयुक्त वाणिज्यिक कर,  
कार्यालय सहायक आयुक्त,  
वाणिज्यिक कर ग्वालियर वृत्त-3  
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 691 दिनांक 23/03/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०बी० राठौर, शीघ्रलेखक (सेवानिवृत्त)	4	रुपयें 46,546=00 (शब्दों में रुपयें पैतालीस हजार पांच सौ छियालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 4/845 भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

अनुभाग अधिकारी,  
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग  
इंदौर, रेसीडेंसी एरिया, डेली कालेज रोड  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 23350 दिनांक 13/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०के० सोनी, निज सचिव	1	रुपयें 702=00 (शब्दों में रुपयें सात सौ दो मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 4/847 भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमताल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1266 दिनांक 27/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/भेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री जयंत चौहान, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल	11	रुपयें 32,857=00 (शब्दों में रुपयें बत्तीस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 4/849

भोपाल दिनांक 26/6/2015

✓ प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/ भोपाल दिनांक / /2015  
प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश,  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
इंदौर (म.प्र.)

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1998 दिनांक 8/04/2015  
000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री कानामल जैन, से.नि. न्यायाधीश	2	रुपयें 2646=00 (शब्दों में . रुपयें दो हजार छः सौ छियालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/851 भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

आहरण एवं संवितरण अधिकारी,  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 702 दिनांक 31/03/2015  
--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री अरुण कलमकर, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष सिंह, श्रीमती शाहिस्ता परवीन, श्री शेख रहमान, श्री एस० लाम्बा एवं श्रीनिवास पटेल	27	रुपयें 60,629=00 (शब्दों में रुपयें साठ हजार छः सौ उनतीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- श्री निवास पटेल के 2 चिकित्सा देयक रुपयें 1898=00 आयुर्वेद चिकित्सालय में कराये गये उपचार से संबंधित होने के कारण रुपयें 1898=00 की राशि कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/ 853 भोपाल दिनांक 26/6/2015

✓ प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी,  
प्रथम वाहिनी विसबल  
इंदौर (म.प्र.)

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक जी-1067 दिनांक 13/03/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	आर. 1297 राकेश चौहान एवं प्र.आर. 694 दिनेश चन्द्र यादव	2	रुपयें 1053=55 (शब्दों में रुपयें एक हजार तिरेपपन छः पच्चपन पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**टीप :-** श्री दिनेश चन्द्र यादव के चिकित्सा देयक रुपयें 946 /- में से निजी सेन्टर में कराई गई जांच की राशि 350/- कम की गई है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/855 भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी,  
35वी(भार) वाहिनी विसबल  
मण्डला (म.प्र.)

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक एम/680 दिनांक 7/04/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	प्र.आर. 704 राम मनोहर गिरी	1	रुपयें 9247=00 (शब्दों में रुपयें नौ हजार दो सौ सैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/ 857 भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमत्तल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
अपर नर्मदा जोन बरगी हिल्स  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 496 दिनांक 28/04/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री पी०सी० जैन, स्टोनो - आई	7	रुपयें 27308=00 (शब्दों में रुपयें सताईस हजार तीन सौ आठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/859 भोपाल दिनांक 26/6/2015

प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



## संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन तुलसी नगर  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4116(3) 445 दिनांक 24/04/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०सी० शर्मा, सहायक ग्रेड-3	11	रुपयें 22,984=00 (शब्दों में रुपयें बावीस हजार नौ सौ चौरासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 4/ 86।

भोपाल दिनांक 26/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बैतुल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 752 दिनांक 13/03/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री वी०के० दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतुल	2	रुपयें 8,189-00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार एक सौ नवासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

863

भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1315 दिनांक 5/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री बी०एल० गौड़, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1	रुपयें 19,886=00 (शब्दों में रुपयें उन्नीस हजार आठ सौ छियासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/865 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / / 2015

प्रति,

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4116(3) 445/506 दिनांक 24/04/2015

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०सी० शर्मा, सहायक ग्रेड-3	12	रुपयें 20,948=00 (शब्दों में रुपयें बीस हजार नौ सौ अड़तालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

प.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/ 867 भोपाल दिनांक 27/ 6/ 2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

उप संचालक,  
कार्यालय संयुक्त संचालक,  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 88 दिनांक 27/04/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री अशोक शर्मा, लेखापाल	5	रुपयें 32,945=00 (शब्दों में रुपयें बत्तीस हजार नौ सौ पैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/ 869 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचसतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

मुख्य अभियंता,  
कार्यालय बोधी, जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 905 दिनांक 9/04/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०सी० सक्सेना, अ.य.	2	रुपयें 10958=70 (शब्दों में रुपयें दस हजार नौ सौ अष्टावन सत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/871- भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमत्तल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

प्रशासक,

कार्यालय परियोजना संचालक,

विश्व बैंक परियोजनायें,

जल संसाधन विभाग, स्वारा भवन

कोलार गेस्ट हाउस के पीछे लिंक रोड नं. 3

भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 637 दिनांक 3/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री उमा शंकर शर्मा, भृत्य	2	रुपयें 5971=00 (शब्दों में रुपयें पांच हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/ 873 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अधीक्षण यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग,  
सेतु निर्माण मण्डल  
निर्माण भवन, तृतीय तल प्लॉट नं. 27,28  
अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 548 दिनांक 24/03/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती विमला सिंह, सहायक ग्रेड-3	2	रुपयें 4624=00 (शब्दों में रुपयें चार हजार छः सौ चौबीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/875 भोपाल दिनांक 27/6/2015

प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015



(1)

रजिस्टर्ड

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

रजिस्ट्रार,

सिविल कोर्ट,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

शाजापुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2539 दिनांक 21/04/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिवार नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री गजेन्द्र ढींगरा, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, जिला न्यायालय शाजापुर	1	रुपयें 18,816=00 (शब्दों में रुपयें अट्ठाह हजार आठ सौ सौलह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक राशि रु. 23316=00 में से निजी सेन्टर में कराई गई एम.आर.आई. जांच की राशि (अतिरिक्त) रुपयें 4500=00 कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/ 879 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

वरिष्ठ प्रशाकीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4116(3) 112/659 दिनांक 27/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री केशवराव कोसे, सहायक ग्रेड-3	8	रुपयें 22059=90 (शब्दों में रुपयें बावीस हजार उनसाठ नब्बे पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/ 884 भोपाल दिनांक 27/6/2015

प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/

भोपाल दिनांक / / 2015

प्रति,

प्रबंधक (लेखा)

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित

मत्स्यबीज प्रेक्षेत्र, भदामदा रोड भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 370 दिनांक 7/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री के०के० श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक (लेखा)	2	रुपयें 6416=00 (शब्दों में रुपयें छः हजार चार सौ सौलह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/886 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1 प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

रजिस्टर्ड

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

संचालक,

जवाहर बाल भवन, भोपाल

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

तुलसी नगर, सेकण्ड स्टॉप भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 169 दिनांक 19/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री महेन्द्र त्रिपाठी, मृत्यु एवं श्रीमती कल्पना बाथरे, मृत्यु	10	रुपयें 32,480=00 (शब्दों में रुपयें बत्तीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/888 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा मवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन भू-तल

अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 13/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री शमशुद्दीन, भृत्य	9	रुपयें 12086=55 (शब्दों में रुपयें बारह हजार छियासी पच्चीस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/ 890 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

रजिस्ट्रार (सिविल कोर्ट)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 785 दिनांक 28/04/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री व्ही०पी० सिंह, दशम अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर	3	रुपयें 3194=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार एक सौ चौरानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/892 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 7 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
धार (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1120 दिनांक 30/04/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री ए०के० तिवारी, साहब, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश	4	रुपयें 1012=00 (शब्दों में रुपयें एक हजार बारह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 7 / 894 भोपाल दिनांक 27/6/2015

प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
रानी अवन्ती बाई सागर  
बांया मेसनरी बाँध संभाग  
बरगी नगर जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 489 दिनांक 1/05/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री चंद्रिका प्रसाद पाण्डे, कार्यभारित समयपाल	19	रुपयें 66,198=00 (शब्दों में रुपयें छियासठ हजार एक सौ अठ्ठानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/896 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें



## संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पंचभतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

Insurance medical officer

I/c. Employees state insurance services Deptt. of labour govt. of  
mp Ghamapur Jabalpur mp (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1446 दिनांक 25/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री ए०के० चौबे, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी जबलपुर	8	रुपयें 41,831=00 (शब्दों में रुपयें इकतालीस हजार आठ सौ इक्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/898 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमत्तल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/

भोपाल दिनांक / / 2015

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल

पचपेढी जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 595 दिनांक 2/06/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री कामता सिंह, मानचित्रकार	2	रुपयें 20,305=00 (शब्दों में रुपयें बीस हजार तीन सौ पांच मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/ 900 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचगत्तल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

कार्यपालन यंत्री,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

संधारण खंड क. -2 मूसाखेड़ी इंदौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2739 दिनांक 18/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री कैलाश वर्मा, कार्यभारित वाल्वमेन	1	रुपयें 1,24,781=00 (शब्दों में रुपयें एक लाख चौबीस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/ 302 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 8 /

भोपाल दिनांक / / 2015

प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3082 दिनांक 21/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री कानामल जैन, सेवा निवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 3943=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार नौ सौ तिरतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 8 / 904 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 146 दिनांक 26/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री शेर सिंह, भृत्य	2	रुपयें 3796=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार सात सौ छियानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- (1) चिकित्सा देयक रुपयें 3596/- में से निजी सेन्टर में कराई गई जांच की राशि रु. 3300/- कम की गई है। दवाई की राशि 296/- स्वीकृत की गई है।

(2) निजी सेन्टर में कराई गई जांच राशि के चिकित्सा देयक रु. 4800/- में से एम.आर.आई. हेतु शासन द्वारा निर्धारित पैकेज राशि रुपयें 3500/- की स्वीकृति दी गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/906 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

संयुक्त संचालक (लेखा)

जनसंपर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3383 दिनांक 18/05/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री संजय सक्सेना, संयुक्त संचालक	11	रुपयें 54,231=85 (शब्दों में रुपयें चौवन हजार दो सौ इक्तीस पिच्चयासी पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :-

(1) चिकित्सा देयक रुपयें 9686=00 आयुर्वेद चिकित्सालय से कराये गये उपचार से संबंधित है। अतः उक्त राशि कम की गई है।

(2) श्री निर्मल राय के चिकित्सा देयक रुपयें 90,912/- राज्य के बाहर चिकित्सालय शांति गोपाल हास्पिटल गाजियाबाद में कराये गये उपचार से संबंधित है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय म०प्र० के पत्र क्र० एफ 4-23/2013/2/पचपन दिनांक 28/05/2013 का अवलोकन करें जिसके द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

श्री निर्मल राय का प्रकरण अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र. को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
निरतंर -2

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचभक्तल सतपुड़ा कवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,  
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 1815-ए दिनांक 22/05/2015

— 000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनि (अ) अरुण सिंह कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ग्वालियर द्वारा अपने पुत्र अभिमन्यु सिंह का उपचार शासकीय चिकित्सालय गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था एवं जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में कराने के उपरांत रुपये 394248=00 (शब्दों में रुपये तीन लाख चौरानवे हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) राशी के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत हेतु भेजे गये हैं।

प्राप्त चिकित्सा देयकों का म0प्र0 चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 तहत चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया प्रस्तुत चिकित्सा देयक शासकीय चिकित्सालय में आन्तरिक रोगी (Indoor patient) के रूप में उपचार कराये जाने से संबंधित है।

म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-9-2013-17-मेडि.-1 दिनांक 5/12/2013 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में आंशिक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन नियम -7 के कड़िका (3) के (क) के अनुसार उनि (अ) अरुण सिंह के प्रकरण में द्वितीय अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उनि (अ) अरुण सिंह के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के भुगतान संबंधी कार्यवाही चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अदेय राशि काटकर भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्न:— मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/911

भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

27/06/2015

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

सहायक यंत्री,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, जेल रोड

भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2805 दिनांक 25/05/2015

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री महेन्द्र सिंह बघेल, भृत्य	5	रुपयें 11,715=00 (शब्दों में रुपयें ग्यारह हजार सात सौ पंद्रह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयकों में अनवाश्यक राशि रुपयें 5200=00 कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/913 भोपाल दिनांक 27/6/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

26/05/2015



**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

प्राचार्य,  
उज्जैन इंजीनियरिंग कालेज  
उज्जैन (म.प्र.)

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 10773 दिनांक 3/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री रवि नगाईच,	6	रुपयें 24,411=77 (शब्दों में रुपयें चौबीस हजार चार सौ ग्यारह सत्तोहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/625 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

संभागीय संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग  
रीवा (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 922 दिनांक 9/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री सदाशिव सिंह, जीप चालक	9	रुपयें 84,344=00 (शब्दों में रुपयें चौरासी हजार तीन सौ चौवालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/623 भोपाल दिनांक 20/4/2015

- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वर्कशाप व स्टोर संभाग देवलोद जिला शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सहायक पुलिस महानरीक्षक (लेखा)  
पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 348 दिनांक 9/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री हीरालाल रोटिया, निरीक्षक	14	रुपयें 28,886=00 (शब्दों में रुपयें अठाईस हजार आठ सौ छियासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/ 621 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 112/88 दिनांक 20/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री केशवराव कोसे, सहायक ग्रेड-3	10	रुपयें 32,710=52 (शब्दों में रुपयें बत्तीस हजार सात सौ दस बावन पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/619

भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 112/73 दिनांक 20/01/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्रं0	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री केशवराव कोसे, सहायक ग्रेड-3	18	रुपयें 33,655=28 (शब्दों में रुपयें तैतीस हजार छः सौ पचपन अठाईस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/617 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रमारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

क्षेत्रीय प्रबंधक (लेखा)

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित

मत्स्यबीज प्रेक्षेत्र, भदभदा रोड़ भोपाल

मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3255 दिनांक 19/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री पी०सी० साहू, प्रबंधक (लेखा)	1	रुपयें 7812=00 (शब्दों में रुपयें सात हजार आठ सौ बारह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/615 भोपाल दिनांक 20/4/2015

त. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

पुलिस अधीक्षक,  
सागर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक पी-597 दिनांक 18/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	आर. 1089 हनीफ खान	1	रुपयें 72,000=00 (शब्दों में रुपयें बहोत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/613 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

वन संरक्षक,  
कार्य आयोजना  
सागर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 86 दिनांक 28/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री मुरली मनोहर श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3	4	रुपयें 26,606=00 (शब्दों में रुपयें छब्बीस हजार छः सौ छः मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/6//

भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी,  
प्रथम वाहिनी विसबल  
इंदौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जी-4226-जी दिनांक 29/12/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	आर. 722 गिरेन्द्र यादव एवं प्र.आर. 637 नारायण प्रसाद	3	रुपयें 34,759=00 (शब्दों में रुपयें चौतीस हजार सात सौ उनसाठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/ 609 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

सेनानी,

प्रथम वाहिनी विसबल

इंदौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक जी-5210-ए दिनांक 22/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	प्र.आर. 637 स्व. नारायण प्रसाद एवं प्र.आर. 535 रामखिलावन	2	रुपयें 15063=00 (शब्दों में रुपयें पंद्रह हजार तिरेसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- प्र.आर. 637 स्व. नारायण प्रसाद के चिकित्सा देयक रू. 7861/- में से रुपयें 2300/- निजी सेन्टर में कराई गई जांच की राशि कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/ 607 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 955 दिनांक 3/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आसिफ अहमद अब्बासी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1	2	रुपयें 3132=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार एक सौ बत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**टीप :-** चिकित्सा देयकों में भुगतान से पूर्व सिविल सर्जन भोपाल के प्रतिहस्ताक्षर करायें।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/605 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

D.V.  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 3/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 995 दिनांक 5/03/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	सुश्री मंजु चतुर्वेदी, ए.सी.जे.एम.	3	रुपयें 7413=00 (शब्दों में रुपयें सात हजार चार सौ तैरह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 3/603

भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

नगर पुलिस अधीक्षक,  
विजय नगर इन्दौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1274 ए दिनांक 11/12/2014  
--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री के०के० शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक	1	रुपयें 54,302=00 (शब्दों में रुपयें चौवन हजार तीन सौ दो मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/ 60/ भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

संभागीय संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर  
संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 10852-54 दिनांक 26/11/2014

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-संग्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	स्व. श्री मुकेश बिसारिया, प्रधान अध्यापक	5	रुपयें 118095=00 (शब्दों में रुपयें एक लाख अठ्ठाह हजार पंचानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- डायलेसिस के चिकित्सा देयक प्राप्त नहीं है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/ 599 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना म.प्र.
2. श्री रवि बिसारिया पुत्र स्व. श्री मुकेश बिसारिया न्यू गांधी कॉलोनी तिवारी गली मुरैना म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 2 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

वनसंरक्षक,

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी इन्दौर

वनमण्डल फॉरेस्ट केम्पस नवरतनबाग

इन्दौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 700 दिनांक 23/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री राजवीर सिंह शंखवार, सहायक ग्रेड-3	10	रुपयें 58,201=00 (शब्दों में रुपयें अठ्ठावन हजार दो सौ एक मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 2 / 597 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 2 /

भोपाल दिनांक     /     / 2015

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 9014-बी दिनांक 30/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	उनि. (अ) श्री अरुण सिंह	5	रुपयें 1,82,482=00 (शब्दों में रुपयें एक लाख बयासी हजार चार सौ बयासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 2 / 593 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

JW  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 9015-बी दिनांक 30/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	स्व० 1885/409 अतर सिंह जाट	4	रुपयें 65,696=00 (शब्दों में रुपयें पैसठ हजार छः सौ छियानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**टीप :-** चिकित्सा देयकों में स्वीकृति के पूर्व चिकित्सक के मूल ओपीडी पर्चे प्राप्त कर स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

/ /  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/595 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

/ /  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचसतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

**Lt. Col**

**Offg group adm Officer**

For Group Commander

NCC Group Headquarters

Pachpedi road jabalpur (mp)

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 4006 दिनांक 12/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती मंजू कीर, सहायक ग्रेड-2	1	रुपयें 40484=00 (शब्दों में रुपयें चालीस हजार चार सौ चौरासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/591 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)

पुलिस दूरसंचार संगठन भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक डी-91 दिनांक 14/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	आर. (रे.) 424 कृष्ण कुमार परिहार	1	रुपयें 34301=00 (शब्दों में रुपयें चौतीस हजार तीन सौ एक मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/589 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1 प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

रजिस्ट्रार (सिविल कोर्ट)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर मध्य प्रदेश।

• विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 308 दिनांक 13/02/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री व्ही०पी० सिंह, दशम अपर जिला न्यायाधीश	5	रुपयें 8524=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार पांच सौ चौबीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/587 भोपाल दिनांक 20/4/2015  
1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

✓  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला रजिस्ट्रार,  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 304 दिनांक 13/02/2015  
— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री ए०एन०एस० श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर	1	रुपयें 2000=00 (शब्दों में रुपयें दो हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/585 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 13/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।


अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवा निवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 8533=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार पांच सौ तैतीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/ 583 भोपाल दिनांक 20/4/2015  
1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला शिक्षा अधिकारी  
होशंगाबाद मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1173 दिनांक 11/03/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री माखनलाल चौधरी, सहायक शिक्षक	10	रुपयें 31,453=00 (शब्दों में रुपयें इक्तीस हजार चार सौ तिरेपन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/ 58/ भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 2/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बैतुल मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 163 दिनांक 22/01/2015

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री वी०के० दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतुल	2	रुपयें 11,653=00 (शब्दों में रुपयें ग्यारह हजार छः सौ तिरेपन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 2/ 579 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1 प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 368 दिनांक 23/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	स्व० श्री पी०एन० भट्ट, लेखापाल	6	रुपयें 84,224=00 (शब्दों में रुपयें चौरासी हजार दो सौ चौवीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/577 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
जिला चिकित्सालय धार जिला धार मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 2/12/2014


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती पुष्पा पाण्डे, स्टाफ नर्स	1	रुपयें 25,788=00 (शब्दों में रुपयें पच्चीस हजार सात सौ अठोहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/575 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभाषी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

सेनानी,

17वीं वाहिनी वि.स. बल

भिण्ड मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एम-2020 दिनांक 12/12/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	प्र.आर. 656 चतुरी लाल	2	रुपयें 18,261=00 (शब्दों में रुपयें अठराह हजार दौ सौ इकसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/ 573 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 1 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भिण्ड मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 587 दिनांक 18/02/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्रं0	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2	2	रुपयें 77624=00 (शब्दों में रुपयें सत्तोहत्तर हजार छः सौ चौवीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 1 / 571

भोपाल दिनांक 20/4/2015

1 प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
ग्वालियर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 297 दिनांक 17/01/2015

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री पी०एन० पाराशर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल	3	रुपयें 13571=37 (शब्दों में रुपयें तैरह हजार पांच सौ इकहत्तर सैतीस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/ 569 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अपर जिला न्यायाधीश  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 414 दिनांक 22/01/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवा निवृत्त न्यायाधीश	3	रुपयें 10748=00 (शब्दों में रुपयें दस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/567 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
**पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल**

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 311 दिनांक 19/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री बी०एस० परमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1	रुपयें 11,780=00 (शब्दों में रुपयें ग्यारह हजार सात सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/ 565 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 163 दिनांक 16/01/2015

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	सुश्री मंजू चतुर्वेदी, अति. मुख्य न्यायाधीश दंडा. भोपाल	2	रुपयें 2747=00 (शब्दों में रुपयें दो हजार सात सौ सौतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**टीप :-** चिकित्सा देयक क्र. 3 रुपयें 1620/- पर सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षर नहीं है।  
प्रतिहस्ताक्षर करायें।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/563 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6647 दिनांक 17/12/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री पी०के० सिन्हा, बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर	2	रुपयें 4377=00 (शब्दों में रुपयें चार हजार तीन सौ सत्तोहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/56/

भोपाल दिनांक 20/4/2015

प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय  
विदिशा मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 363 दिनांक 26/12/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०के० सोनी, प्रधान न्यायाधीश	1	रुपयें 3009=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार नौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/ 559 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

आवश्यक

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
**पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल**

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

रजिस्ट्रार,  
कार्यालय म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण,  
विन्ध्याचल भवन, भू-तल भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**


**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 799 दिनांक 24/12/2014  
--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री व्ही०के० भाटिया, तत्कालीन सदस्य	4	रुपयें 7979=44 (शब्दों में रुपयें सात हजार नौ सौ नवासी चौवालीस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/557 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 1/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 07 दिनांक 01/01/2015  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवा निवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 6420=00 (शब्दों में रुपयें छः हजार चार सौ बीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/ 555 भोपाल दिनांक 20/4/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 15/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

पुलिस अधीक्षक,  
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक आई-4467 दिनांक 16/12/2013 एवं पत्र क्रमांक  
आई-4466 दिनांक 16/12/2013

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	प्राप्त चिकित्सा देयकों की राशि	स्वीकृत राशि
1.	सउनि रामेश्वर प्रसाद सोनी	(1) रु. 50086/- (2) रु. 33073/- (3) रु. 48894/-  कुल राशि रुपयें 132053/-	(1) रुपये 8810/- (2) रुपये 7848/- (3) रुपये 6773/-  कुल स्वीकृत योग्य राशि रुपये 23,431/- (शब्दों में रुपये तेईस हजार चार सौ इक्कीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

प.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 15/266 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
2. सउनि रामेश्वर प्रसाद सोनी, एमओबी शाखा पुलिस कार्यालय नरसिंहपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सेनानी  
35वी (भार) वाहिनी विसबल  
मण्डला मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक एम/1584 ए दिनांक 28/11/2014  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	प्र.आर. 704 राम मनोहर गिरी	1	रुपयें 8637=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार छः सौ सैतीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

16  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/ 264 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

28  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

पुलिस अधीक्षक  
दमोह मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 62-ए दिनांक 22/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	आर. 398 भागीरथ	1	रुपयें 36348=00 (शब्दों में रुपयें छत्तीस हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/262 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय  
जिला विदिशा मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 313/2014 दिनांक 18/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०के० सोनी, प्रधान न्यायाधीश	2	रुपयें 4688=80 (शब्दों में रुपयें चार हजार छः सौ अठ्ठासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/260

भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



**चालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 9388 दिनांक 20/11/2014.

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बी०एल० गौड़, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	1	रुपयें 27,328=00 (शब्दों में रुपयें सताईस हजार तीन सौ अठ्ठासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/258 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
छतरपुर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3017 दिनांक 14/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री डी०के० पालीवाल, तत्कालीन प्रथम अपर जिला न्यायाधीश	1	रुपयें 3854=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार आठ सौ चौवन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

16  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/ 256 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1 प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

(5)

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 16 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4106 दिनांक 10/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	कु. मंजु चतुर्वेदी, ए.सी.जे.एम.	1	रुपयें 939=00 (शब्दों में रुपयें नौ सौ उनतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 8 / 254

भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
 पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
 प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 होशंगाबाद मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 25/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री प्रदीप सोनी, प्रशिक्षु न्यायाधीश वर्ग-2 होशंगाबाद	6	रुपयें 26,954=00 (शब्दों में रुपयें छब्बीस हजार नौ सौ चौवन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
 राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
 से अनुमोदित

11  
 उप संचालक (एम.आर.)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/252 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

De  
 उप संचालक (एम.आर.)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 4578 दिनांक 12/12/2014  
— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1	रुपयें 7896=88 (शब्दों में रुपयें सात हजार आठ सौ छियानवे अठ्ठासी पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/256 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

(2)

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 5719 दिनांक 30/10/2014  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवानिवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 6186=00 (शब्दों में रुपयें छः हजार एक सौ छियासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/248

भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
**उप संचालक (एम.आर.)**  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

(1)

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतेल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 16/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

अपर जिला न्यायाधीश,  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इन्दौर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6377 दिनांक 29/09/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवानिवृत्त न्यायाधीश	2	रुपयें 7703=00 (शब्दों में रुपयें सात हजार सात सौ तीन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

11  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/ 246

भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सहायक आयुक्त  
कलेक्टर (आदिवासी विकास)  
भोपाल मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 2530 दिनांक 15/12/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री दिलबहादुर, रसोईयां	9	रुपयें 40803=00 (शब्दों में रुपयें चालीस हजार आठ सौ तीन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**टीप :-** चिकित्सा देयकों में से निजी सेन्टर में कराई गई जांच की राशि रुपयें 1830/- कम की गई है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/244 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

रजिस्ट्रार,

म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण

विन्ध्याचल भवन, भू-तल भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 710 दिनांक 24/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री बृज किशोर शुक्ला, भृत्य	1	रुपयें 9570=44 (शब्दों में रुपयें नौ हजार पांच सौ सत्तर चौवालीस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/242 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

लेखाधिकारी

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन

भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 336 दिनांक 2/12/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती सुनीता मांडवे, सहायक ग्रेड-3	1	रुपयें 711=53 (शब्दों में रुपयें सात सौ ग्यारह तिरेपन पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक में से निजी सेन्टर में कराई गई जांच की राशि रु. 430/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 240

भोपाल दिनांक 3/3/2015

प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

आहरण एवं संवितरण अधिकारी  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 477 दिनांक 5/12/2014  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	डॉ० एल०बी० अस्थाना, उपसंचालक एवं श्री रमेश कुमार पटेल, भृत्य	4	रुपयें 9244=00 (शब्दों में रुपयें नौ हजार दो सौ चौवालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 238 भोपाल दिनांक 3 /3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
होशंगाबाद मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 8543 दिनांक 26/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	कुमारी जार्जिना मसीह, स्टॉफ नर्स	1	रुपयें 30,000=00 (शब्दों में रुपयें तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 236 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 17 /  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

वनमंडलाधिकारी  
कावेरी क्षतिपूर्ति वनीकरण (NVDA)  
खण्डवा मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 13/11/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री अनवर अहमद खान, उपवनक्षेत्रपाल	4	रुपयें 37065=00 (शब्दों में रुपयें सैंतीस हजार पैंसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 17 / 234 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश।

विषय:— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 10031 दिनांक 29/01/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री शशि भूषण द्विवेदी, शिक्षक	2	रुपयें 30239=00 (शब्दों में रुपयें तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयकों में से एडमिशन एवं सिटी स्केन की अतिरिक्त राशि रुपयें 3600/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 232 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

अधीक्षण यंत्री,  
सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मण्डल  
पचपेड़ी, जबलपुर मध्य प्रदेश।

**विषय:-** चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 1854 दिनांक 11/11/2014  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री कामता सिंह, मानचित्रकार	2	रुपयें 12947=00 (शब्दों में रुपयें बारह हजार नौ सौ सैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 230 भोपाल दिनांक 3 /3/2015

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
**मध्यप्रदेश**  
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 17/  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

वनमण्डलाधिकारी  
उत्पादन वनमण्डल  
खण्डवा मध्य प्रदेश।

**विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।**

**संदर्भ:-** आपका पत्र क्रमांक 14024 दिनांक 20/11/2014  
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बी०आर० यादव, लेखापाल	16	रुपयें 23,695=00 (शब्दों में रुपयें तेईस हजार छः सौ पंचानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**संलग्न :-** मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 17/ 228 भोपाल दिनांक 3/3/2015

1. प्रभारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

## मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 18/

भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

रजिस्ट्रार,

सिविल कोर्ट

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

शाजापुर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 7450 दिनांक 20/11/2014


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	कुल स्वीकृति राशि
1.	श्री गजेन्द्र ढींगरा, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	1	रुपयें 36,144=00 (शब्दों में रुपयें छत्तीस हजार एक सौ चौवालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक  
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड  
से अनुमोदित

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पु.क्र./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 18/226

भोपाल दिनांक 3/3/2015

- ✓ 1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
उप संचालक (एम.आर.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश